

9/11/2020 वकील जर्जी अर्थात् युंकि जर्जिंग
 पत्र से संबंधित शून्य वाड लेख
78/2018 उक्तानी तात्पर्य का
 गैर का निर्णय किया का चुका
 है। इस: अर्थात् पत्र पर सुनवाई
 किये जाने का कोई मौखिक यथ
 नहीं यह जाता है। पत्रावली फेसल
 सुनाए व रफि मखा ले कर देखा
 जाविल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
 केंद्री (सुनयुग)

